49

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक /2016 जिला–कटनी

राजेन्द्र प्रसाद पुत्र स्व. श्री शिव सिंह
साकिन – शिवनगर नदी पार कटनी जिला
कटनी (म.प्र.)

..... आवेदक

विरूद्ध

म.प्र. शासन द्वारा कलेक्टर जिला कटनी म.प्र.

..... अनावेदक

न्यायालय कलेक्टर कटनी द्वारा प्रकरण क्रमांक 17/अ–21/2015–16 में पारित आदेश दिनांक 22.08.2016 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू–राजस्व संहिता की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर से निम्नांकित निवेदन है कि :–

1. यहकि, अधीनस्थ न्यायालय का आदेश अवैध अनुचित एवं विधि के उपबन्धों के प्रतिकूल होने से अपास्त किये जाने योग्य है।
2. यहकि, विचारण न्यायालय के समक्ष आवेदक द्वारा ग्राम खरखरी स्थित भूमि खसरा नं. 557 एवं 702 रकवा 0.310 एवं 0.160 है0 तथा ग्राम भरवारा स्थित भूमि खसरा नं. 389 रकवा 0.600 है0 का भूमि स्वामी है। जिसे शारदा प्रसाद एवं श्रवण कुमार दोनो के पिता स्व. रामप्रसाद परौहा साकिन खरखरी कटनी को विक्रय करने का इकरार नामा कर लिया है, इसलिये उपरोक्त भूमि विक्रय करने की अनुमति हेतु कलेक्टर जिला कटनी के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था। जिस पर हल्का पटवारी द्वारा अपना प्रतिवेदन दिया गया, तत्पश्चात् नायब तहसीलदार मुडवारा–2 द्वारा अपना जॉच प्रतिवेदन प्रस्तुत कर उल्लेख किया कि उपरोक्त भूमि आवेदक के स्वत्व स्वामित्व अधिपत्य की है। ऐसी स्थिति में विक्रय अनुमति आवेदन की अनुशंसा तहसीलदार एवं अनुविभागीय अधिकारी द्वारा की गयी। किन्तु इसके बावजूद जो कार्यवाही एवं आदेश अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किया गया है वह अपास्त किये जाने योग्य है।
3. यहकि, अधीनस्थ प्राधिकारियों से प्रतिवेदन प्राप्त किये गये थे किन्तु इसके बावजूद उपरोक्त प्रतिवेदनो पर विचार किये बिना प्रतिवेदनो के विपरीत आदेश दिनांक 22.08.2016 पारित किया है, वह नितान्त, अवैध एवं अनुचित होने से अपास्त किये जाने योग्य है।
4. यहकि, कलेक्टर जिला कटनी द्वारा आवेदक के प्रकरण में कोई कार्यवाही ना की जाकर विक्रय अनुमति के आवेदन पत्र पर सद्भाविक विचार नहीं किया गया। ऐसी

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 3146/एक/2016 जिला–कटनी

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही एवं आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
4.10.16	यह निगरानी आवेदक द्वारा कलेक्टर, जिला कटनी के प्रकरण क्रमांक 17/अ–21/2015–16 में पारित आदेश दिनांक 22.08.2016 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता सन् 1959 की धारा 50 (जिसे आगे केवल संहिता कहा जायेगा) के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है। 2– प्रकरण का सारांश यह है कि आवेदक ने ग्राम खरखरी में स्थित भूमि खसरा नं. 557 एवं 702 रकवा 0.310 एवं 0.160 है0 तथा ग्राम भरवारा में स्थित भूमि खसरा नं. 389 रकवा 0.680 है0 भूमि को विक्रय किये जाने हेतु अनुमति बावत् आवेदन कलेक्टर जिला कटनी के समक्ष इस आशय से प्रस्तुत किया कि उपरोक्त भूमि के अलावा आवेदक के पास ग्राम गुबराधरी में रकवा 5.830 है0 भूमि है। जिसको वह कृषि योग्य बनाकर विकसित करेगा। ऐसी स्थिति में उपरोक्त भूमि को विक्रय किये जाने की अनुमति प्रदान की जाये। कलेक्टर जिला कटनी द्वारा उपरोक्त आवेदन पत्र पर विधिवत् विचार किये बिना पारित आदेश दिनांक 22.08.2016 से आवेदक की ओर से प्रस्तुत भूमि विक्रय की अनुमति का आवेदन पत्र पर्याप्त आधार न होने के आधार पर निरस्त कर दिया गया इसी आदेश के विरूद्ध आवेदक द्वारा इस न्यायालय में यह निगरानी प्रस्तुत की गयी हैं। 3– निगरानी मैमो में उठाये गये बिन्दुओं पर उभय पक्ष के	

अभिभाषको के तर्क सुने तथा उनकी ओर से प्रस्तुत दस्तावेजो का अवलोकन किया गया।

4– आवेदक अभिभाषक ने तर्को में बताया कि आवेदक द्वारा अपने स्वत्व स्वामित्व एवं अधिपत्य की भूमि के विक्रय हेतु अनुमति आवेदन पत्र कलेक्टर जिला कटनी के न्यायालय में प्रस्तुत किया था। जिसपर तहसीलदार एवं अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अनुशंसा की गयी थी ऐसी स्थिति में जो आदेश कलेक्टर जिला कटनी द्वारा पारित किया गया है, वह अपास्त किये जाने योग्य है।

आवेदक अभिभाषक द्वारा अपने तर्को में यह भी उल्लेख किया है कि कलेक्टर जिला कटनी द्वारा विक्रय अनुमति के आवेदन पर सद्भाविक विचार नहीं किया। क्योंकि आवेदक द्वारा भूमि विक्रय करने के पश्चात् उसके पास ग्राम गुबराधरी में रकवा 5.830 है0 भूमि शेष बचेगी जिससे वह भूमिहीन नहीं होगा और वह उपरोक्त भूमि को विकसित कर कृषि योग्य बनायेगा इस हेतु पम्प एवं उपकरण खरीदना चाहता है ऐसी स्थिति में आवेदक की ओर से प्रस्तुत आवेदन पत्र पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सद्भाविक विचार किये बिना जो आदेश पारित किया है, वह अपास्त किये जाने योग्य है। आवेदक अपनी भूमि को इस कारण भी विक्रय करना चाहता है क्योंकि उसके निवास स्थान गुबराधरी से ग्राम खरखरी ग्राम भरवारा की भूमि अधिक दूरी पर है जिससे वह सफलता पूर्वक कृषि कार्य नहीं कर पा रहा है। ऐसी स्थिति में भूमि विक्रय की अनुमति दी जानी चाहिये थी। उपरोक्त तथ्य पर विचार किये बिना अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किया गया है, अतः आदेश अपास्त किया जाये एवं आवेदक को भूमि विक्रय किये जाने की अनुमति प्रदान की जाये।

5– अनावेदक शासन की ओर से उपस्थिति अधिवक्ता द्वारा अपने तर्को में यह बताया है कि कलेक्टर जिला कटनी द्वारा उपरोक्त प्रकरण विधिवत् विचार करने के पश्चात् विक्रय अनुमति का आवेदन पत्र निरस्त किया है। क्योंकि प्रकरण में भूमि विक्रय की अनुमति दिये जाने के संबंध में कोई पर्याप्त कारण नहीं दिये गये। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो आदेश पारित किया गया है वह विधिवत् एवं सही होने से स्थिर रखे जाने का निवेदन किया गया।

6– उभय पक्षों के अभिभाषको के तर्को के परिपेक्ष्य में मेरे द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजो का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत दस्तावेजो के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदक द्वारा ग्राम खरखरी में स्थित भूमि खसरा क्रमांक 557 एवं 702 रकवा क्रमशः 0.310 एवं 0.160 है0 तथा ग्राम भरवारा में स्थित भूमि खसरा नं. 389 रकवा 0.680 है0 भूमि का विक्रय अनुबंध पत्र शारदा प्रसाद एवं श्रवण कुमार दोने के पिता रामप्रसाद परौहा साकिन खरखरी कटनी के साथ किया गया है। जिसके संबंध में तहसीलदार मुडवारा–2 द्वारा अपना जॉच प्रतिवेदन तथा अनुशंसा प्रतिवेदन अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिये गये है ऐसी स्थिति प्रतिवेदनों के विपरीत कार्यवाही नहीं की जा सकती। जहॉ तक आवेदक के भूमि विक्रय करने के पश्चात् भूमिहीन होना का प्रश्न है तो यह अभिलेख से स्पष्ट है कि आवेदक पास ग्राम गुबराधरी में रकवा 5.830 है0 भूमि शेष बचेगी जिससे वह भूमिहीन नहीं होगा। आवेदक के निवास स्थान से ग्राम खरखरी एवं भरवारा की भूमि अधिक दूरी पर है ऐसी स्थिति में भी उपरोक्त भूमि पर सफलता पूर्वक कृषि कार्य संभव नहीं है जिससे आवेदक को लाभ के स्थान पर हानि हो रहीं है। ऐसी स्थिति में भी सद्भावना पूर्वक विचार

कर विक्रय अनुमति दी जानी चाहिये थी इस तथ्य पर विचार किये बिना जो आदेश कलेक्टर जिला कटनी द्वारा पारित किया गया है वह स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

7— उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी स्वीकार की जाकर कलेक्टर जिला कटनी द्वारा प्रकरण क्रमांक 17/अ—21/2015—16 में पारित आदेश दिनांक 22.08.2016 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किया जाता है एवं आवेदक को ग्राम खरखरी प.ह.न.30 राजस्व निरीक्षक मण्डल, मुडवारा—2 में स्थित भूमि खसरा क्रमांक 702 रकवा 0.160 है0 एवं खसरा क्रमांक 557 रकवा 0.310 तथा ग्राम भरवारा प.ह.नं.30 राजस्व निरीक्षक मण्डल मुडवारा—2 में स्थित खसरा क्रमांक 389 रकवा 0.680 है0 भूमि के विक्रय की अनुमति दी जाती है।

सदस्य